

30<sup>8</sup>/<sub>25</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकुलाच अ।

मूल प्रार्थना पत्र धारा 177 RTA 1955 खारिज  
हो चुका है। लिहाजा उक्त T-I प्रार्थना पत्र

मूल प्रार्थना पत्र धारा 177 के अभाव में चलाने  
योग्य नहीं है। खारिज किया जाता है। पत्रावली  
पेशल सुपर होकर नंबर से कम हो।

सहायक कमिश्नर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बली